HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18158/2026
CNR: RJHC021096212026 | URN: CRLMB / 33323U / 2026

Colonel Sardar Singh Chauhan S/o Late Shri Nathu Singh Chauhan, Aged About 73 Years, R/o A-1005, Shishpal Vihar - A, W.h.o. Complex, Sector-19, Mohna Road, Gurugram Haryana (Presently Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18159/2026
CNR: RJHC021096202026 | URN: CRLMB / 33324U / 2026

Tesu Chauhan D/o Colonel Sardar Singh Chauhan, Aged About 46 Years, R/o A-1005, Shishpal Vihar -A, W.h.o. Complex, Sector 19, Mohna Road, Gurugram Haryana. (Presently Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Major R P Singh, Sr. Adv. Assisted by Mr. Amol Vyas, Adv. Mr. Abhishek Purohit, Adv. Mr. Bajrang Singh Jaitawat, Adv. Mr. Pulkit Arora, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Manish Pareek, Adv. Mr. Lakshya Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.19
10:21:27 IST

Judgment / Order

17/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक पृथक यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर शहर उत्तर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**64/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4), 336(4), 338, 340(2), 339, 61(2) बी एन एस में पेश किये गये है।

चूंकि दोनों प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, अतः इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, विवाद सिविल प्रकृति का है, विवाद पहले से ही एनसीएलटी में लंबित है, अभियुक्तगण दिनांक 28.10.2026 से अभिरक्षा में है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, शेष अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक प्रार्थना पत्रों का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का एनसीएलटी तथा उच्च न्यायालय आदि तक में उपयोग कर परिवादी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है। अंत में अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में यह आरोप है कि परिवादी तथा अभियुक्तगण व अन्य व्यक्ति द्वारा एक कम्पनी कुतीना अराकाया प्रा0लि0 का गठन किया जिसमें दोनों अभियुक्तगण के शेयर के अलावा 08 प्रतिशत शेयर परिवादी के पास थे। परिवादी का यह आरोप है कि परिवादी को निदेशक के पद से हटाने के लिए तथा उसे अनुचित हानि पहुंचाने के लिए कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर अलग अलग फोरम में उनका उपयोग किया गया है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण के यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **कर्नल सरदार सिंह चौहान पुत्र स्व. नाथू सिंह चौहान व टैसू चौहान पुत्री कर्नल सरदार सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/S-A/117-118/Murari Lal Sharma